

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-6889 / 4091

दिनांक: 28-2-2017

सेवा में

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय: Diversion of 13.51 ha. of forest land in favour of Sub Divisional Officer, W/S Sub Division, Pehowa for laying of RCC NP-3, 700mm Dia pipeline from Narwana Branch RD 230983 to Sarawati Tirth Pehowa, R/side, under forest division and District Kurukshetra Haryana..

Online Proposal No. FP/HR/IRRIG/22593/2016

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 9-HRC001/2017-CHA दिनांक 2-1-2017 ।

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र के बारे में वन मण्डल अधिकारी, कुरुक्षेत्र के पत्र क्रमांक 5225 दिनांक 23-2-2017 द्वारा प्राप्त मदवाईज सूचना सभी अनुलग्नकों सहित संलग्न प्रेषित है ।

कृपया प्रस्ताव में स्वीकृति बारे आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्न/उपरोक्त ।

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0),
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

79

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय वन मंडल अधिकारी, कुरुक्षेत्र
वन परिसर, पिपली, कुरुक्षेत्र, फोन नं०/फैक्स-01744-230743
E-mail-dfo.kkr-hry@nic.in

कमांक: 5225

दिनांक 23-2-2017

सेवा में:

नोडल ऑफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0),
कार्यालय: मुख्य प्रधान वन संरक्षक,
हरियाणा, पंचकूला।

विषय: Diversion of 13.51 ha of Forest land for laying of RCC NP-3, 700mm Dia Pipeline from Narwana Branch RD 230983 to Saraswati Tirth Pehowa, Right Side in Distt. Kurukshetra.

संदर्भ: आपके कार्यालय का पत्र क्र० 3823-24 दि० 02.02.2017.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में संदर्भांकित पत्र द्वारा प्रस्ताव से सम्बन्धित मांगी गई सूचना आपकी सेवा में मदवाईज दो-दो प्रतियों में निम्न प्रकार से भेजी जाती है:-

- 2.(i) सिंचाई विभाग द्वारा 1.3 है० वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना करके 1480 पौधों को नष्ट किया गया। जिसके विरुद्ध क्षति रिपोर्ट नं० 37/36 दि० 04.11.2014 चाक करके 16800/- रू० तथा क्षति रिपोर्ट नं० 46/36 दि० 18.02.2015 को चाक करके 72000/- रू० इस प्रकार कुल राशि 88800/- रू० वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करवाए गए। सिंचाई विभाग द्वारा 1.3 है० वन भूमि का उपयोग अनजाने में किया गया और सिंचाई विभाग द्वारा इसे अपनी भूमि समझकर काम करवाया गया। यह प्रस्ताव धार्मिक स्थान होने के कारण नोर्मल पैनल सी०ए० लगाने की सिफारिश की गई है।
- (ii) इस प्रस्ताव में बाधक पेड़ों की मार्किंग सूचियां साथ सलंगन भेजी जाती है।
- (iii) क्षतिपूर्ति पौधारोपण कैंथला सप्लाई चैनल आर०डी० 0 से 26 दांये व बांये व सरस्वती सब ड्रेन आर०डी० 0 से 9 दांये व बांये पर करवाया जायेगा।
- (iv) सी०ए० साईट की KML फाईल सी०डी० में व साईट सूटेबल स्ट्टीफिकेट की प्रति साथ सलंगन भेजी जाती है।
- (v) यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तावित जगह की के०एम०एल० फाईल तैयार करके भेजी गई है जो आपकी सेवा में साथ सलंगन भेजी जाती है।
- (vi) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की प्रति साथ सलंगन भेजी जाती है।
- (vii) Forest Right Act. 2006 का सर्टिफिकेट उपायुक्त महोदया, कुरुक्षेत्र से प्राप्त होने उपरान्त आपकी सेवा में साथ सलंगन भेजा जाता है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करवाने की अनुकम्पा करें।

सलंगन: उपरोक्त



वन मंडल अधिकारी
कुरुक्षेत्र।

पृ० कमांक:

दिनांक

वन संरक्षक उत्तरी परिमंडल, हरियाणा, पंचकूला को उनके पत्र क्र० 7531 दि० 22.2.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



वन मंडल अधिकारी
कुरुक्षेत्र।